दिल्ली विकास प्राधिकरण

<u>खेल नियंत्रण बोर्ड</u>

<u>सी-1/114 प्रथम तल</u>

<u>विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-23</u>

सं.एफ.6(109)एस.सी.बी./ट्रैक/डीडीए/2022/15 **दिनांकः 04.04.2022**

<u>कोटेशन आमंत्रण सूचना</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से उप निदेशक (एस सी बी) द्वारा मई से नवम्बर, 2022 माह के दौरान दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों के लिए हिमालय क्षेत्र में 20 ट्रैकिंग कार्यक्रमों, जिनमें प्रत्येक समूह में 20 सदस्य शामिल होंगे, हेतु ऐसी पात्र एजेंसियों से मुहरबंद लिफाफे में एकमुश्त दर बोली/कोटेशन (दो भागों में अर्थात् तकनीकी बोली ओर वित्तीय बोली) आमंत्रित करते हैं, जिनके पास निम्नलिखित हिमालय क्षेत्र में ट्रैकिंग कार्यक्रम आयोजित करवाने का व्यापक अनुभव प्राप्त हो। बोलियाँ, अपनी प्रोफाइल के साथ-साथ नीचे दिए गए पात्रता मानदण्डों हेतु निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उपर्युक्त पते पर 15 अप्रैल, 2022 को अपराह्न 3.00 बजे तक ऑफ लाइन मोड में जमा की जा सकती है। तकनीकी बोलियाँ/कोटेशन पहले 18 अप्रैल, 2022 को अपराह्न 3.30 बजे इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी और दूसरी बोली अर्थात् वित्तीय बोलियाँ केवल उन फर्मों की खोली जाएंगी, जो तकनीकी मानदण्डों को पूरा करती हों।

1. त्रिहुंड (हिमाचल प्रदेश)
2. मणि महेश (हिमाचल प्रदेश)
3. कुग्ती दर्रा (हिमाचल प्रदेश)
4. सिराज वैली (शिकारी देवी) (हिमाचल प्रदेश)
5. चंद्रताल (हिमाचल प्रदेश)
6. केदारकांठा ट्रैक (उत्तराखंड)
7. हर की दून (उत्तराखंड)

बोलीदाताओं के लिए पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार हैः-

(क) <u>तकनीकी मानदण्डः</u>

1. इच्छुक एजेंसी सरकारी/राज्य सरकार के अंतर्गत एडवेंचर टूर/ट्रैक ऑपरेटर के रूप में किसी भी सरकारी/राज्य सरकारी संगठन/प्राधिकरण अर्थात् पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पर्वतारोही फाउण्डेशन अथवा किसी वैध संगठन/प्राधिकरण से पंजीकृत होनी चाहिए।
2. न्यूनतम टर्नओवर 15 लाख रु. प्रतिवर्ष।
3. वैध जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
4. बोलीदाता के पास पहले से केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/संगठनों में ट्रैकिंग कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव हो। एजेंसी इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।
5. एजेंसी के पास मजबूत कोर टीम के बेसिक पात्र पेशेवर स्टाफ के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। एजेंसी के पास बेसिक योग्यता के साथ पर्वतारोहण में योग्य स्टाफ होना चाहिए।

एजेंसी को उपर्युक्त मानदण्डों के पक्ष में मुहरबंद लिफाफे जिस पर "तकनीकी बोली" लिखा हो, मेंदस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

बोली/कोटेशन दो लिफाफों अर्थात् (i) **तकनीकी बोली** और (ii) **वित्तीय बोली** में प्रस्तुत करना हैं। बोलीदाता को सख्ती से उक्त निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप अपने प्रस्ताव को उद्धृत/प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय बोली केवल उन एजेंसियों के संबंध में खोली जाएगी, जो निबंधन और शर्तों के अनुसार तकनीकी बोली में पात्र होंगी।

(ख) वित्तीय बोलीः

सेवा (ट्रैक का नाम)	**समूह में व्यक्तियों की संख्या**	**प्रति व्यक्ति दर (शब्दों और अंकों में)**	**कुल राशि (शब्दों और अंकों में)**
त्रिहुंड (हिमाचल प्रदेश)	20		
मणि-महेश (हिमाचल प्रदेश)	20		
कुग्ती दर्रा (हिमाचल प्रदेश)	20		

सिराज वैली (शिकारी देवी), हिमाचल प्रदेश	20		
पताशु चोटी (हिमाचल प्रदेश)	20		
केदारकांठा ट्रैक (उत्तराखंड)	20		
हर की दून (उत्तराखंड)	20		

इच्छुक/भावीएजेंसियाँ अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का भी विशेष रूप से उल्लेख करेः

1. एजेंसी, बेस कैम्प से बेस कैम्प तक सहायता करेगी और आवास कैम्प उपलब्ध करवाएगी।
2. बेस कैम्प से बेस कैम्प तक की ट्रैक की अवधि का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। प्रतिदिन का कार्यक्रम भी बताया जाए।
3. एजेंसी बैड-टी के साथ-साथ स्वास्थ्यकर एवं पौष्टिक नाश्ता, लंच, स्नैक्स सहित शाम की चाय, सूप और डिनर उपलब्ध करवाएगी।
4. एजेंसी गाइड की सुविधा, टेंट्स, अच्छे टेंट में रहने के लिए साफ-सुथरे स्लिपिंग बैग, मैट्स और स्वास्थ्यकर वातावरण के साथ पक्की इमारतों (होटल/गेस्ट हाउस) में ठहरने के मामले में अनिवार्य बैडिंग आदि उपलब्ध करवाएगी।
5. एजेंसी, बेस कैम्प से बेस कैम्प तक ट्रैकिंग पर जाने वाले प्रति व्यक्ति के लिए एकमुश्त दर उद्धृत करें।
6. एजेंसी पर्वत में ट्रेकिंग के दौरान सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता उपकरणों का रखरखाव करेगी और इनको उपलब्ध कराएगी।
7. आपात स्थिति के मामले में एजेंसी बचाव अभियान के लिए उचित सुविधाएँ सुनिश्चित करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि उनका दल इस उद्देश्य हेतु पेशेवर रुप से प्रशिक्षित है।
8. कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए, जिससे पर्यावरण (इको सिस्टम) को किसी भी प्रकार की हानि हो।
9. एजेंसी को निकटतम रेलवे स्टेशन/बस टर्मिनस पर ट्रेकिंग टीम का स्वागत करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी और निकटतम रेलवे स्टेशन/बस टर्मिनल से बेस कैंप तक परिवहन सुविधा की व्यस्था भी करनी होगी।

उपर्युक्त दो बोलियाँ को अलग-अलग दो मुहरबंद लिफाफों में, जिनमें प्रत्येक लिफाफे पर तकनीकी बोली और वित्तीय बोली निर्दिष्ट करते हुए, अंतिम तिथि से पूर्व ऑफलाइन पद्धति के माध्यम से श्री सुरेश कुमार, खेल समन्वयक, दि.वि.प्रा., सी-I/114, प्रथम तल, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 को भेजी जाए। उपर्युक्त तिथि तक प्राप्त होने वाली बोलियों पर ही विचार किया जाएगा।

कृपया नोट करें:-

(क) दि.वि.प्रा., एजेंसी द्वारा उद्धृत दरों के अलावा किसी अन्य राशि का भुगतान नहीं करेगा।

(ख) उपर्युक्त निबंधन और शर्तों को पूरा नहीं करने वाली बोलियाँ तुरंत निरस्त कर दी जाएँगी।

(ग) एल-1 का निर्धारण आधारिक उद्धृत मूल्यों के आधार पर किया जाएगा।

(घ) एजेंसी द्वारा उद्धृत मूल्य अंकों के साथ-साथ शब्दों में सटीक और स्पष्ट होना चाहिए।

(ङ) न्यूनतम स्वीकार्य बोली पर आगे अनुबंध/आपूर्ति आदेश के नियोजन के लिए विचार किया जाएगा।

(च) तद्नुसार, न्यूनतम स्वीकार्य बोलीदाता को सूचित किया जाएगा।

(छ) प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

(ज) हाई एल्टीट्यूड ट्रेकिंग के दौरान एल्टीट्यूड सिकनेस एक बड़ी बाधा है। आपातकालीन स्थिति में एजेंसी, जोखिम को कम करने के लिए व्यक्ति को लोअर एल्टीट्यूड पर लाने से पूर्व पैरामेडिकल सहायता प्रदान करने के लिए अत्यधिक अनुभवी दल की व्यवस्था करेगी।

(झ) बोलियों का प्रारूप दि.वि.प्रा की वेबसाइट अर्थात www.dda.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है और ऑफलाइन जमा किया जा सकता है।

(ञ) किसी भी स्तर पर प्रस्ताव/कार्यक्रम वापस लेने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

(ट) बोली को मुहरबंद लिफाफे में उप निदेशक (खेल समन्वय कक्ष) कार्यालय, कमरा **संख्या सी-1/114, प्रथम तल, सी-ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली** को जमा की जाए।

(ठ) बोलीदाता किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए उप निदेशक (खेल समन्वय कक्ष) से किसी भी कार्य दिवस को प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच टेलीफोन नं- 011-24661501 पर संपर्क कर सकते हैं।

SD/-
(सुरेश कुमार)
उप निदेशक
(खेल नियंत्रण बोर्ड)